न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

अशोक कुमार बनाम गोकुलचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. 182/2023
07.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी की जाती हैं, विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रैक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
182 / 2023	2023 / 314	18.10.2023	07.02.2025 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. अशोक कुमार योगी पुत्र प्रहलादराम
2. रामावतार योगी पुत्र प्रहलदाराम

जाति योगी निवासीगण रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

———वादीगण——

बनाम्

1. गोकुलचन्द पुंत्र नानूराम
2. भागाराम पुत्र नानूराम
3. बलराम पुत्र रघुनाथ
4. रूघनाथ प्रसाद पुत्र बिडदूराम

   जति जाट निवासीगण रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर
6. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई जिला सीकर
7. शाखा प्रबंधक पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराणा जिला अलवर

———प्रतिवादीगण——

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड० वादीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 05 की ओर सें।

कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
माधोपुर (सीकर)

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 7983/944, 7984/944, 7985/944 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 हैक्टर तन ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में अवस्थित है जिसके 1639/30340, 1639/303340 हिस्सा की खातेदारी वादी नम्बर 1 व वादी नम्बर 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड व शेष हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियो की खातेदारी संयुक्त रूप से उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 ने उक्त वर्णित भूमि का मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर रखा है जिसका संलग्न नजरी नक्शा बनाया हुआ है। इस प्रकार वादीगण अपने बाह्मी बंटवारे में मौके पर आयी हुयी भूमियों की खातेदारी अलग से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की घोषणा कराने की अधिकारी है। वादीगण के हक हिस्से एवं अधिकार में आयी हुयी भूमियों की खातेदारी अलग से वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित भूमियों का बंटवारा एवं संलग्न नजरी नक्शे दर्शितानुसार वादीगण मौके पर काबिज काश्त है, वादीगण ने अपने हिस्से व अधिकार में बाह्मी बंटवारे के अनुसार अपने हक हिस्से व अधिकार में आयी अपनी भूमियों में अलग से सींव नींव कायम कर तार बाउण्ड्री लगाकर अलग से सीमाओ से सुरक्षित कर रखा है तथा मौके पर अपनी हक हिस्से व अधिकार की भूमि[illegible] स्वरूप में कई लाखो रूपये खर्च कर उन्नत एवं उपजाउ व विकसि[illegible] उपयोग [illegible] भोग [illegible]ती चली आ रही है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एवं [illegible] अधिकार प्रतिवादीगण को नही है, ना ही बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीगण की [illegible]मियों को खुर्द–बुर्द, रहन, व्ययन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है तथा नही नींव सींव को तोडकर भूमियो पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीगण को संयुक्त खातेदारी की आड में प्राप्त हैं। वादीगण अपनी भूमियो की खातेदारी बाह्मी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमियों का बंटवारा व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अलग से अंकन हुआ हैं। इसके अभाव में वादीगण अपनी भूमियों का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती है उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियो का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये बाह्मी बंटवारे के अनुसार अपने हक हिस्से एवं अधिकार की भूमियो की खातेदारी अलग दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार वादीगण के बाह्मी बंटवारे उनको अपने नाम अलग से दर्ज करवाने बाबत कहन पर प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एवं आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियो की बढती हुयी कीमतो के कारण एवं प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने के कारण वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण की गलत नजर हो गयी है तथा वादीगण को प्रतिवादीगण आये दिन हैरान परेशान करते है तथा धमकी देने लगे है कि हम संयुक्त खातेदारी की आउ मे वादीगण के बाहमी बंटवारे में आयी हुयी भूमियों को दीगर भुमाफियावृत्ति के लोगो को बैचान करेंगे तथा बाह्मी बंटवारे के अनुसार वादीगण के हक हिस्से व अधिकार की भूमियो की सीमाओ की तार बाउण्ड्री नष्ट करेगें तथा बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीगण को काश्त नही करने देगे एवं उपयोग–उपभोग में मजाहमत पैदा करने की धमकी देना चालू कर दिया है जिनका उनको किसी प्रकार को कोई अधिकार नही हैं। यदि प्रविादीगण अपनी बैजा हरकतो में कामयाब हो जावेगें तो वादीगण अनायास ही हैरान परेशान हो कर दीगर मुकदमबाजी [illegible] गी। इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त गलत अवैध व मनमानी कार्यवाही [illegible] जरिये स्थाई निषेंधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है तथा इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 09.09.2023 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उक्त वर्णित भूमियों में वादीगण के बंटवारे अनुसार अपने हक हिस्से व अधिकार भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम करने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण बंटवारा कराने से इंकार हो गये। दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिकी फरमाया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 7983/944, 7984/944, 7985/944 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 हैक्टर तन ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में का बंटवारा वं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण को काबिज खतेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसमें दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ फरमाया जावे अलग से लगान कायम कर अलग से मिन बट्टा नम्बर दर्ज किया जावें। पूर्व का शामलाती में रहन हटाया जाकर जिस पक्षकार की भूमिया पूर्व मे रहन थी उस पक्षकार के उक्त हिस्से में आयी हुयी भूमियों पर रहन दर्ज फरमाया जाकर अलग से लगान कायम कर दिया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 7983/944, 7984/944, 7985/944 कुल किता 3 कुल रकबा 2.05 हैक्टर तन ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर के वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही दीगर से रावे ना ही उक्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर कच्चा व पक्का निर्माण कार्य नही करे ना ही दीगर से करावे ना ही दीगर अजनबी भूमाफियावृत्ति के लोगो को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख, से अन्तरित करें, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग दीगर किसी को रहन रखें, ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ठ भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग [illegible] रिकार्ड बनाया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावें तथा [illegible] कायम कर नक्शें में तरमीम करवाया जावें व खातेदारी अलग–अलग [illegible] करायी एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर (फास्ट टेक)
[illegible]माधोपुर (सीकर)

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या–1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने प्रकरण बंटवारा से संबंधित होने से प्रकरण में पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रकरण प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.02.2024 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.02.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10. 2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 295/रीडर/2024 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1421/भू.अ./2024 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीगण की सहमति तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकुलाय उभय पक्षकारान ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरण अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

... कलक्टर (फास्ट टेक)
...माधोपुर (सीकर)

क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्रांक 1421/भू.अ./2024 दिनांक 04.07.2024 के अनुसार वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:—

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :—

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या/नाम ग्राम	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
	गोकुलचंद पि. नानूराम जाति जाट हिस्सा 1/2 राहिन बीआरकेजीबी शाखा थोई भागाराम पि. नानूराम जाट हि. 1/2 सा. देह खातेदार	7983/944	0.76	बारानी–3	1.4100
	अशोक कुमार योगी , रामावतार योगी पि. प्रहलादराम जाति जोगी हिस्सा बराबर राहिन पंजाब एवं सिंध बैंक शाखा नीमराणा हि.ब. राहिन	7985/944/1	0.2160	बरानी–3	0.4026
	रूघनाथप्रसाद पित्र बिड्दूराम हि. 463/517 जाति जाट सा. देह, बलराम पि. रूघनाथप्रसाद हि. 54/517जाति जाट सा. देह	7985/944/2	1.0340	बारानी–3	1.9273
	अशोक कुमार योगी पुत्र प्रहलादराम हि. 1639/30340 जाति जोगी राहिन पंजाब	7984/944	0.0400	गै.मु. रास्ता	—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड कलक्टर (फास्ट टेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराणा, रामावतार योगी पुत्र प्रहलादराम हि. 1639 / 30340 जाति जोगी राहिन पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराणा गोकुलचंद पुत्र नानूराम हि. 5783 / 30340 जाति जाट राहिन बीआरकेजीबी बैंक शाखा थोई, भागाराम पुत्र नानूराम हि. 5783 / 30340 जाति जाट सा. देह खातेदार बलराम पुत्र रघुनाथ प्रसाद हि. 1639 / 30340 जाति जाट सा. देह खातेदार रूघनाथप्रसाद पुत्र बिड्दूराम हि. 13857 / 30340 जाति जाट सा. देह खातेदार				

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो यथावत रखा जावें। तहसीलदार प्रस्तावित रास्ते का अंकन गैर मुमकिन रास्ते के रूप में करें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 1421 / भू.अ. / 2024 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested